न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–4,उन्नाव।

वाद संख्या– 2134/19
सन्तोष सिंह बनाम अंकित आदि।

12.6.2019

पुकार कराई गई । परिवादी अनुपस्थित । पत्रावली धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान हेतु नियत है । परिवादी 200 के बयान हेतु उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता कि परिवादी को वाद को चलाने में रूचि नहीं है । ऐसे में मात्र परिवाद प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया कार्यवाही किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है । अतः परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 के तहत निरस्त किया जाता है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो ।

ए0सी0जे0एम0कोर्ट सं04,उन्नाव ।